तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री हनुमान गुनानिया, अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट श्री जे0के0पारिक, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा दिनांक 25.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामुलपुरा मजरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 72 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नंबर 110 स्थित है। उक्त भूमि बंदोबस्त से पूर्व सिवायचक दर्ज थी तथा उक्त भूमि वादी को दिनांक 29–10–77 को विधिवत आवंटन हुई तब से ही वादी विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। किंतु बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी आधार के भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर वन विभाग ने वादी को बेदखल करने का प्रयास किया तथा राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती एवं अपीलांट को विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किये जाने हेतु दावा पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये एवं दिनांक 21.11.1958 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर विवादित भूमि को वन विभाग की मानते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी/रेस्पो0 ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2006 से रेस्पो0/वादी की अपील को स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.04.2003 को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य, दस्तावेज, विधि तथा विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आराजी मुतनाजा वन क्षेत्र की भूमि है एवं वन क्षेत्र की भूमि घोषित करने हेतु राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी एवं उक्त विज्ञप्ति के बाद दिनांक 24.05.1962 को अंतिम विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 12.05.1962 को प्रकाशित हुई इस प्रकार उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद विवादित भूमि वन क्षेत्र की मानी जावेगी जिस पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने वन क्षेत्र की घोषित भूमि पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में भूल की हैं जो काबिले निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धारा 16(10) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत एवं सपठित नियम 4 राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है इस कारण रेस्पो0 के हक में किया गया आवंटन शुन्य प्रभावी एवं अवैध है जिसे उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। परंतु अपीलीय न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन को विधिवत मानकर रेस्पो0 को खातेदार घोषित करने में विधिक त्रुटि की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते समय कोई तनकीवार निर्णय नहीं दिया एवं ना ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किया। इस कारण उनका निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि संवत 2022 से 2025 में विवादित आराजी बंजड़ भूमि दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि का आंवटन दिनांक 19.10. 1977 को रेस्पो0 को किया गया। आवंटन की प्रति प्रदर्श–4 पर प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात भू–प्रबंध विभाग ने संवत 2032 में वादग्रस्त भूमि को वन विभाग के खसरा गिरदावरी में अंकित कर दिया। भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2038 में वादग्रस्त भूमि किस्म बारानी दर्ज थी तथा रेस्पो0 का नाम बतौर काश्तकार दर्ज था और उक्त गिरदावरी में रेस्पो0 की काश्त भी अंकित की गई थी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.1971 के अनुसार यदि भूमि का आवंटन यदि दिनांक 25.10.1980 से पूर्व किया हुआ है और आवंटन के दिन आवंटित भूमि बिला नाम सरकारी दर्ज है ना की वन विभाग के नाम, तो उन काश्तकारों को बेदखल नहीं किया जाएगा एवं काश्त करने से रोकर नहीं जावेगा। अपीलांट विवादित आराजी पर निरंतर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये आवंटी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2022 आर0बी0जे0 पेज 389, 2021(2) आर0आर0टी0 पेज 1016, 2021 आर0बी0जे0 पेज 687, 2020 आर0बी0जे0 पेज 126 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के अंकित किया है किः– ‘‘ प्रथम महत्वपूर्ण बिंदू यह है कि क्या भू–प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी पर जंगलात के नाम इन्द्राजात कर विधि विरूद्ध कार्य किया अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर इन्द्राज किये। वादी के अभिभाषक ने यह तर्क एवं समर्थन में प्रस्तुत पूर्व निर्णय पूर्णतः स्पष्ट करते है कि भू–प्रबंध विभाग भूमि की किस्म अथवा इन्द्राजात को परीवर्तित नहीं कर सकता परंतु 21.11.57 के गजट नोटिफिकेशन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आराजी वन विभाग पीपल्या माणक चौक के नाम से अधिसूचित थी एवं वन क्षेत्र में शामिल खसरा नंबर में विवादित आराजी का शामिल होना ExA-3 से स्पष्ट है अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि भू–प्रबंध से पूर्व आराजी सिवायचक थी। संवत 2022 ता 25 की जमाबंदी में आराजी बेशक सिवायचक पुरानी पड़त कृषि रहित दर्ज है परंतु आराजी संवत 2028 ता 47 की जमाबंदी के मुताबिक संवत 2035 के आवंटन के पूर्व ही जंगलात के नाम दर्ज शुदा थी। इंतकाल महज Fiscal entry है यह ना तो अधिकार एवं स्वत्व उत्पन्न करती है और ना ही समाप्त कर सकती है। ऐसे में आराजी 1957 से ही वन विभाग की संपत्ति मानी जावेगी। लिहाजा भू–प्रबंध द्वारा गजट अधिसूचित क्षेत्र को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वनक्षेत्र होने से भू–प्रबंध अंकित करना विधिवत माना जावेगा। द्वितीय प्रश्न वादी के 29.10.77 को किये बाबत है। अभिभाषक प्रतिवादी का यह मायने रखता है कि मूल आवंटन आदेश, दखलानामा अथवा आवंटन की कार्यवाही बाबत आवश्यक दस्तावेजात को प्रस्तुत ना होने से महज आवंटन पट्टे मिसल नंबर का इन्द्राज नहीं है और ना ही पट्टा जारी करने की तिथि का अंकन है, के आधार पर आवंटन की वैधता की परीक्षण किया जा सकता है। परंतु प्रस्तुत पट्टे के अनुरूप विचारण किया जावे तब भी प्रस्तुत प्रविष्टियों के मुताबिक आवंटन वन विभाग की भूमि के आवंटन हेतु अनुपलब्धता के आधार पर किये जाने पर भी आवंटन नियमों, 1970 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की अनदेखी के कारण विधिक रूप से शुन्य है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के 10.07.1991 के परीपत्र पर विचार की आवश्यकता शेष नहीं रहती।'' इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर विवादित भूमियां वन विभाग की होना सिद्ध किया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा उसके संबंध में तनकीयात का निर्माण कर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद में निर्णय पारित किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 1957 में ही राष्ट्रीय वन अधिनियम के अनुसार भूमियां वन विभाग की होने बाबत विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। इसके बाद दिनांक 24.05.1962 को भी विज्ञप्ति जारी कर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। इस स्थिति में विवादित भूमियों पर वन विभाग की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से ही विधिक अधिकार उत्पन्न हो गये थे। उक्त नोटिफिकेशन का इंतकाल बाद में खुलने या स्वीकार होने से वन विभाग के विधिक अधिकारों की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि राजस्व विधि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4444/2006/बूँदी सरकार बनाम सुरतान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि इंतकाल कार्यवाही मात्र वित्तीय कार्यवाही होती है। इससे कोई विधिक अधिकार उत्पन्न या समाप्त नहीं होते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विधिक प्रावधानों और राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार भी वन विभाग की भूमियों का निजी व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय जगमाल सिंह बनाम राज्य सरकार पंजाब में पारित निर्णय के अनुसार भी वन विभाग की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार दिया जाना भी विधि विरूद्ध है। अतः यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमियों का तथाकथित आवंटन Ab initio void (प्रारंभ से ही शुन्य) है। इस प्रकार इस प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा निजी खातेदारी अधिकार देने हेतु पारित निर्णय विधि विरूद्ध पाया जाता है।

परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-03-2006 अपास्त किया जाता है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष